प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

Pension 14/I/2011-12/

Date: .06.2011

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authority regarding:
1. Grant of Dearness Relief to the State Government Pensioners with effect from 01.07.2009, 1.1.2010 and 1.7.2010 @ of 73, 87% and 103%.

Ref: Office of the Accountant General (A&E), Bihar Patna, Special Seal Authority No:
1. No. Pen-IX-Spl. Seal Authority No. 06 dated 01.04.2011.

* * *

I am herewith enclosing a copy of letter issued by the Office of the Accountant General (A&E), Bihar Patna, in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

V Ram Rame Kum 9/6/2011

Senior Accounts Officer

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.- 06 **Dated-** 01/4/2011

To,

The Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh Hyderabad

Sub:- **Grant of Deanreness relief to the State Government Pensioners,**

Bihar Govt. Resolution No. 3 ए-3 भत्ता-01/2009-2191

Date 11-03-2011

Sir,

I am to forward herewith HIndi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No....8974.. Dated...18/9/2009. for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt. 3 ए-3-भत्ता-01/2009-2191
Resolution No.-
Dated : - 11/03/2011

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar Date-

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 2191, दि0-11.03.2011

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः-राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित पेंशन में महँगाई राहत की दरों में दिनांक -01.07.2009, 01.01.2010 एवं 01.07.2010 के प्रभाव से संशोधन ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8974 दिनांक 18.09.2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मियों एवं अपुनरीक्षित पेंशन वाले पेंशन भोगियों को दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से 64 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी ।

2. राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय मंहगाई भत्ता की दरों में दि0- 01.07.2009, 01.01.2010 एवं 01.07.2010 के प्रभाव से कमशः 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्रांक-12084 दिनांक-18.12.2009; 5015 दिनांक-12.05.2010 एवं 453 दि0- 17.01.2011 द्वारा प्रदान की जा चुकी है । परन्तु अपुनरीक्षित पेंशन लेने वाले राज्य के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है ।

3. राज्य सरकार सेवारत कर्मियों और पेंशनरों दोनों को ही एक ही दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति देती रही है ।

4. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व दिनांक-01.01.96 के प्रभाव से लागू पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगी, जिनका दिनांक 01.01.2005 के प्रभाव से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई राहत की राशि को महँगाई पेंशन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक- 01.07.2009, 01.01.2010 एवं 01.07.2010 के प्रभाव से कमशः 73 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

(i) महँगाई राहत की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा ।

(ii) महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन एवं महँगाई पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा । महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित की जायेगी तथा 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जायेगी ।

5. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ही, कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियो को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के सेवा निवृत कर्मियों को अपुनरीक्षित पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

<u>आदेशः-</u> आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव,वित्त विभाग

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 2191 पटना, दिनांक :- 11.03.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/3/11

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव,वित्त विभाग

18/3/11. 160311H0408

D4 - 180311P011780